(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Kartavya Bhawan-2, New Delhi
Dated: 25th March, 2026

NOTIFICATION

No.10/15/2018-U3(A): Whereas, D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra had submitted an online application on UGC Portal for starting an off-campus Centre at Talegaon, Dabhade, Maharashtra as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. **And whereas**, UGC, vide its letter No. F. 30-3/2024 (CPP-I/DU) dated 06.05.2024, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra with certain conditions. Accordingly, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 21.01.2025 to D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra for fulfilment of the certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Talegaon, Dabhade, Maharashtra.

3. **And whereas**, the Vice-Chancellor, D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra, vide letter dated 09.09.2025, submitted compliance report in respect of fulfillment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and advice. UGC, vide letter No. F. 30-3/2024 (CPP-I/DU) dated 02.02.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and the report of the Committee was approved by the Chairman, UGC.

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra to start an off-campus Centre at Talegaon, Dabhade, Maharashtra with conditions that the students shall be admitted in professional courses only after approval of respective Statutory Councils.

5. D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra shall abide by all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as

well as provisions of the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time.

पुकेबनर्जी

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2401 5038

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Vice-Chancellor, D.Y. Patil (Deemed to be University), Navi Mumbai, Maharashtra.
3. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Maharashtra, Mumbai.
4. The Secretary, National Medical Commission, Pocket- 14, Sector – 8, Dwarka Phase -1, New Delhi – 110077.
5. The Secretary, Indian Nursing Council, Combined Council Building, Kotla Road, Temple Lane, New Delhi.
6. The Secretary, Pharmacy Council of India (PCI), Post Box No.7020, Combined Councils' Building, Kotla Road, Aiwa-E-Ghalib Marg, New Delhi-110002.
7. The Under Secretary (ME), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
8. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
10. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
11. PS to Hon'ble EM
12. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Telephone No. +91 11 2401 4923

(भारत के राजपत्र भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
(आईसीआर प्रभाग)

कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली
दिनांक: 25 मार्च, 2026

अधिसूचना

सं.10/15/2018-यू3(अ): जबकि, डी.वाई. पाटिल (सम विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार तालेगांव, दाभाडे, महाराष्ट्र में एक ऑफ-कैंपस सेंटर शुरू करने हेतु यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन जमा किया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 06.05.2024 को अपने पत्र संख्या एफ 30-3/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ डी. वाई. पाटिल (सम विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। तदनुसार, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, तालेगांव, दाभाडे, महाराष्ट्र में एक ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए डी.वाई. पाटिल (सम विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र को दिनांक 21.01.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

3. **और जबकि**, कुलपति, डी.वाई. पाटिल (सम विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र ने दिनांक 09.09.2025 के पत्र के माध्यम से एलओआई की शर्तों को पूरा करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और सलाह हेतु यूजीसी को प्रेषित किया गया था। यूजीसी ने दिनांक 02.02.2026 के पत्र संख्या एफ 30-3/2024 (सीपीपी-I/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई थी और समिति की रिपोर्ट को यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4. **अब, इसलिए**, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, डी.वाई. पाटिल (सम-विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र को तालेगांव, दाभाडे, महाराष्ट्र में एक ऑफ-कैंपस केन्द्र शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है जोकि इस शर्त के अध्यधीन होगा कि छात्रों को संबंधित सांविधिक परिषदों के अनुमोदन के बाद ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा।

5. डी.वाई. पाटिल (सम विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र इस मंत्रालय की पूर्व की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2401 5038

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
मिंटो रोड, नई दिल्ली - 110002

<u>प्रतिप्रेषित</u>:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
2. कुलपति, डीवाई पाटिल (सम विश्वविद्यालय), नवी मुंबई, महाराष्ट्र।
3. सचिव, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई।
4. सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, पॉकेट-14, सेक्टर - 8, द्वारका फेस-1, नई दिल्ली - 110077
5. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली।
6. सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), पोस्ट बॉक्स नंबर 7020, संयुक्त परिषद भवन, कोटला रोड, आइवा-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली-110002
7. अवर सचिव (एमई), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
8. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
10. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सीएमआईएस यूनिट को इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने का निर्देश दें।
11. माननीय शिक्षा मंत्री के निजी सचिव
12. गार्ड फ़ाइल/अधिसूचना फ़ाइल।

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन: +91 11 2401 4923